न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी नि.रा-88-I-16

अवध कुमार पुत्र इमरतलाल प्रजापति, निवासी ग्राम मनेशा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा -- आवेदक

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र रामनारायण दुबे
2. गोविन्द्रसिंह पुत्र कडोरीसिंह दांगी,
3. रामरतीबाई पत्नि गोविन्द्रसिंह दांगी
4. रामकली बाई पत्नि इमरतसिंह प्रजापति, निवासी ग्राम मनेशा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा

-- अनावेदकगण

अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 43/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.12.15 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदनपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं कार्यवाही अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है
2. यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का विधिवत अवसर दिये बिना भूमि का बटांकन करने में अपने विचार अधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।
3. यहकि, तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही सर्वप्रथम जानकारी आवेदक को अनावेदकगण द्वारा भूमि का सीमांकन कराये जाने की कार्यवाही किये जाने पर हुयी, जिसके आधार पर आवेदक ने तहसील न्यायालय की उक्त कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर आदेश की प्रति प्राप्त करने के उपरांत, जानकारी के दिनांक से समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की थी, जिसे समय वाधित मानकर विवादित आदेश द्वारा निरस्त

R 88-I/16 (निगरानी)

6–7–16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाही गई है । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, विचारोपरांत उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाये । सक्षम न्यायालय प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य